न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 47 / अपील / 2022 (GCMS No. 2022 / 86)	04.07.2022	10.03.2025

1. उदा आ. रामनाथ जाति गुर्जर निवासी माटून्दा, तहसील बून्दी
2. पन्नालाल आ. रामनाथ जाति गुर्जर निवासी माटून्दा, तहसील बून्दी
3. लालचन्द आ. रामनाथ जाति गुर्जर निवासी माटून्दा, तहसील बून्दी
4. सूरजमल आ. रामनाथ जाति गुर्जर निवासी माटून्दा, तहसील बून्दी
5. चेतराम आ. रामनाथ जाति गुर्जर निवासी माटून्दा, तहसील बून्दी
6. हीराबाई पत्नी रामनाथ जाति गुर्जर निवासी माटून्दा, तहसील बून्दी
7. कान्ती पुत्री रामनाथ पत्नी रामकुंवार जाति गुर्जर
   निवासी तीरथ, तहसील तालेडा, जिला बून्दी
8. गुलाब पुत्री रामनाथ पत्नी नन्दकिशोर जाति गुर्जर
   निवासी बागदा, तहसील एवं जिला बून्दी

– अपीलांटस

बनाम

1. देवकिशन आ. सेवा जाति गुर्जर नि. गुजरों की मराड़ी, तह.तालेडा
2. देवलाल आ. सेवा जाति गुर्जर नि. गुजरों की मराड़ी, तह.तालेडा
3. धन्नी बाई आ. सेवा जाति गुर्जर नि. गुजरों की मराड़ी, तह.तालेडा
4. नेवालाल आ. सेवा जाति गुर्जर नि. गुजरों की मराड़ी, तह.तालेडा
5. प्रेमबाई पुत्री मनोहर जाति गुर्जर नि. गुजरों की मराड़ी, तह.तालेडा
6. फोरी बाई पुत्री सेवा जाति गुर्जर नि. गुजरों की मराड़ी, तह.तालेडा
7. बद्रीलाल आ. सेवा जाति गुर्जर नि. गुजरों की मराड़ी, तह.तालेडा
8. मनभर पुत्री सेवा जाति गुर्जर नि. गुजरों की मराड़ी, तह.तालेडा
9. महावीर पुत्र सेवा जाति गुर्जर नि. गुजरों की मराड़ी, तह.तालेडा
10. रामधनी पुत्री सेवा जाति गुर्जर नि. गुजरों की मराड़ी, तह.तालेडा
11. सुगना पुत्री मनोहर जाति गुर्जर नि. गुजरों की मराड़ी, तह.तालेडा
12. हरलाल पुत्र गुलाबबाई जाति गुर्जर नि. गुजरों की मराड़ी,
13. हाबूलाल पुत्र गुलाबबाई जाति गुर्जर नि. गुजरों की मराड़ी,
14. हीराबाई पत्नी सेवा जाति गुर्जर नि. गुजरों की मराड़ी, तह.तालेडा
15. हीरालाल पुत्र गुलाबबाई जाति गुर्जर नि. गुजरों की मराड़ी
16. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार बून्दी,

– रेस्पोडेन्टस

जिला कलक्टर, बून्दी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलांटस की ओर से श्री दशरथ सिंह, एडवोकेट।
रेस्पो.सं. 1,2,3,4,6,7,9,10,14 की ओर से श्री लीलाधर सिंह एडवाकेट
रेस्पो.सं. 5, 8, 11, ,12, 13, 15 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
रेस्पो. सं. 16 की ओर से पेरोकार सरकार

निर्णय

यह अपील अपीलांट ने तहसीलदार बून्दी द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 3914 दिनांक 07.12.2021 (स्वीकृत 10.12.2021) ग्राम माटून्दा से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन नामान्तरकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक खातेदार केसरा के वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया गया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 47/2022 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2022/86 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो. जरिये सम्मन आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांटस ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि कृषि भूमि खसरा संख्या 1279 रकबा 0.0154 है0, ख.सं. 1280 रकबा 0.0308 है0, ख.सं. 3730 रकबा 0.5152 है0, खसरा सं. 3731 रकबा 0.0385 है0, खसरा सं. 3732 रकबा 2.0609 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 2.6608 हैक्टेयर वाके ग्राम माटून्दा, तहसील व जिला बून्दी में विस्थित है। उक्त भूमि के 1/6 हिस्से के मूल खातेदार केसरा आ. रामसुख थे, जो अपीलान्टस के दादाजी थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। जिनके तीन पुत्र क्रमशः रामनाथ, मनोहर, सेवा थे। रामनाथ के वारिसान अपीलान्टस है तथा मनोहर व सेवा के वारिसान रेस्पो.सं. 1 लगायत 15 है। अपीलान्टस के पिता रामनाथ की मृत्यु दिनांक 02.03.2001 को ग्राम माटून्दा में हुई है। जिनके मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि इस अपील के साथ संलग्न हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि स्वर्गीय केसरा जी के दो पत्नियां थी। जिनमें से प्रथम पत्नी की संतान अपीलान्ट्स के पिताजी रामनाथ थे एवं दूसरी पत्नी की सन्तान मनोहर व सेवा जी हुये थे। मृतक खातेदार केसरा के तीनों पुत्रों की मृत्यु हो चुकी है। जिनका फोती नामान्तरकरण नहीं खुलाया गया। किन्तु रेस्पो.सं. 1 देवकिशन ने अपने पिता सेवा की मृत्यु होने पर उक्त भूमि का

जिला कलेक्टर; बून्दी

फोती इंतकाल खातेदार केसरा वल्द रामसुख के केवल दो पुत्र मनोहर व सेवा मानकर ही रेस्पो. संख्या 1 लगायत 15 के नाम पर दिनांक 07.12.2021 को इंतकाल संख्या 3914 खुलवा लिया है, जबकि मृतक केसरा जी के तीन पुत्र रामनाथ, मनोहर व सेवा थे। जिनमें से रामनाथ जी के वारिसान अपीलान्टस प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी होने के बावजूद भी उनके नाम पर उक्त इंतकाल तस्दीक नहीं करवाकर केवल मात्र रेस्पो.सं. 1 लगायत 15 के नाम ही उक्त इंतकाल तस्दीक करवाया गया हैं, जो वस्तुस्थिति एवं विधान के सर्वथा विपरित होने से निरस्त होने योग्य है। मृतक केसरा के पुत्र सेवा ने अपने हिस्से की उक्त कृषि भूमि को अपीलांटस के पिता एवं अपने बडे भाई रामनाथ आ. केसरा को दिनांक 22.05.90 को 16001/–रू. में बेचान कर कब्जा भूमि संभला दिया था तब से ही अपीलांटस के पिता केता रामनाथ व उनके मरणोपरान्त अपीलांटस मृतक सेवा के हिस्से की भूमि पर 32 वर्षो से भी अधिक समय से निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज काश्त करते चले आ रहे है। इस तथ्य को भी रेस्पोडेंटस ने छिपाकर उक्त नामान्तरकरण तस्दीक कराया है जो निरस्त होने योग्य है। अपील विषयक कृषि भूमि पर अपीलांटस का कब्जा चला आ रहा है, इसके बाजवूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूमि पर कब्जा की जांच नहीं की गई है जबकि नामान्तरकरण की कार्यवाही में कब्जा महत्वपूर्ण आधार होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व मृतक खातेदार केसरा के वारिसान की जांच नहीं की गई और न ही अपीलांटस को कोई सूचना दी गई। वारिसान को सुनवाई का अवसर दिये बिना नामान्तरकरण तस्दीक किया गया, जो सुनवाई के प्राकृतिक सिद्धान्त विपरित है। अपीलांटस को उक्त नामान्तरकरण की कोई जानकारी नहीं थी, इसकी सर्वप्रथम जानकारी पटवारी हल्का से जमाबंदी की नकल मांगने पर उनके द्वारा रेस्पोडेंटस के नाम नामान्तरकरण तस्दीक होने के बारे में दिनांक 01.06.2022 को जानकारी दी गई है। उसी दिन नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, नकल अपीलांटस को दिनांक 16.06.2022 को प्राप्त हुई। तब अपीलांटस को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई। इसलिये अपीलांटस द्वारा जानकारी के अनुसार अपील अवधि मध्य प्रस्तुत की है, फिर भी देरी मानी जावे तो देरी माफ करने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पृथक से पेश किया गया है। अभिभाषक अपीलांटस द्वारा अपने कथन के समर्थन में कार्यालय ग्राम पंचायत माटून्दा का प्रमाण पत्र, रामनाथ का मृत्यु प्रमाण पत्र, विक्रय पत्र दिनांक 22.05.1990, 2 गवाहान के शपथ पत्र, राशनकार्ड, आधार कार्ड, आर.आर.डी. 2002 पेज 37, आर.आर.डी. 1998 पेज 319 की नजीरें पेश करते हुये अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किये जाने एवं मृतक पुत्र रामनाथ के वारिसान अपीलांटस के नाम नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर; बून्दी

अभिभाषक रेस्पो. ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन नामान्तरकरण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खातेदार केसरा की मृत्यु हो जाने पर उसके वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया गया। उक्त नामान्तरकरण की जानकारी अपीलांटस को प्रारम्भ से ही रही है। अपीलांटस को दिनांक 01.06.2022 को कैसे जानकारी हुई, इस बाबत कोई तथ्य प्रकट नहीं किये है इस कारण अपील अपीलांटस मियाद बाहर होने से मियाद के बिन्दू पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अभिभाषक रेस्पो. ने आगे गुणावगुण पर बहस करते हुये कथन किया कि अपीलांटस के पिता रामनाथ खातेदार केसरा का जायन्दा पुत्र नहीं है अपितु रामनाथ खातेदार केसरा की पहली पत्नी के दूसरे पति का पुत्र है, जिसको केसरा के खाते की कृषि भूमि पर कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते है। रामनाथ के मृत्यु प्रमाण पत्र में पिता का नाम केसरा लिख देने मात्र से ही रामनाथ को केसरा का पुत्र नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार रामनाथ को सुनवाई का अवसर दिये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुताबिक सजरा प्रमाण पत्र पटवारी तालाब बरधा, तहसील तालेडा के आधार पर मृतक खातेदारान के वारिसान के नाम दर्ज करने की स्वीकृति दी गई, जो विधिसम्मत है। अभिभाषक रेस्पोडेंटस द्वारा अपील अपीलांटस सारहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपील का परीक्षण सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर किये जाने पर प्रकट है कि अपीलांटस द्वारा नामान्तरकरण की नकल लेने पर दिनांक 01.06.2022 को अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी होते ही हस्तगत अपील दिनांक 30.06.2022 को पेश की गई। लिमिटेशन के संबंध में कई न्यायिक विनिश्चयों में यह माना है कि जानकारी की तिथि से ही अवधि की गणना की जानी चाहिऐ। लिमिटेशन के संबंध में RRD 1998 पेज 319 में प्रतिपादित मत की रोशनी में न्यायहित में हम हस्तगत अपील का निर्णय मैरिट पर करना उचित समझते है। अतः अपील अन्दर अवधि मानते हुये अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाता है।

अपील का परीक्षण गुणावगुणों पर किये जाने पर प्रकट है कि ग्राम माटून्दा में विस्थित आराजी खसरा सं. 1279, 1280, 3730, 3731, 3732 किता 5 कुल रकबा 2.6608 हैक्टेयर भूमि का सहखातेदार केसरा पुत्र रामसुख जाति गूजर हिस्सा 1/6 था। मृतक खातेदार केसरा के हिस्से पर मुताबिक सजरा प्रमाण पत्र पटवारी तालाब बरधा,तहसील तालेडा के आधार पर मृतक खातेदार के वारिसान के नाम दर्ज कर नामा0 स्वीकृत किया गया है। इस पर अपीलांट को आपत्ति है कि उनके पिता रामनाथ का नाम पिता केसरा के विरासत के नामान्तकरण में दर्ज नहीं किया गया, जो किया जावे। जबकि रेस्पो. का कथन है कि रामनाथ खातेदार केसरा का पुत्र नहीं होने से अपील खारिज की जावे।

जिला कलेक्टर; बून्दी

यहां उल्लेखनीय है कि मनोहर के वारिसान बावजूद सूचना अपील में उपस्थित नहीं आये। सेवा के वारिसान जर्ये अभिभाषक उपस्थित आये, किन्तु उनकी ओर से लिखित में कोई जवाब पेश नहीं किया गया। दौराने बहस अभिभाषक रेस्पो. (सेवा के वारिसान) की ओर से अपीलांटस के पिता रामनाथ को खातेदार केसरा का पुत्र नहीं मानते हुये पहली पत्नी की सन्तान बताया है किन्तु मौखिक कथन के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया, जिससे रामनाथ का पिता केसरा ना होकर कोई दूसरा व्यक्ति होना प्रकट हो सके। दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में उक्त मौखिक कथन मात्र है। जबकि अपीलांटस की ओर से पेश किये गये स्वयं के आधार कार्ड, परिवार राशनकार्ड एवं 2 गवाह के शपथ पत्र में उनके पिता का नाम रामनाथ अंकित है। रामनाथ के मृत्यु प्रमाण पत्र (रजिस्ट्रेशन की तारीख 06.08.2004) में पिता का नाम केसरा निवासी माटून्दा होना अंकित है। रेस्पो. के पिता सेवा द्वारा 5/– रू. के स्टाम्प पर 9 वीं पक्ति में लिखी इबारत में ''मेरे बडे भाई रामनाथ'' अंकित किया है। सरपंच,ग्राम पंचायत, माटून्दा द्वारा जारी प्रमाण पत्र में रामनाथ, मनोहर एवं सेवा तीन भाई एवं पिता का नाम केसरा होना अंकित है। उक्त दस्तावेजी साक्ष्यों से रामनाथ निवासी माटून्दा के पिता का नाम केसरा होना प्रकट है। यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि अपीलाधीन फोती नामान्तरकरण खातेदार केसरा के पुत्र पुत्रियों के नाम दर्ज नहीं किया गया, अपितु देवकिशन पुत्र सेवा जाति गूजर निवासी गूजरों की मराडी वगै0 के पक्ष में तस्दीक किया गया है। जब खातेदार केसरा एवं उसके पुत्र–पुत्रियों की मृत्यु हो चुकी थी तो ऐसी स्थिति में बाद सुनवाई आदेश पारित कर नामान्तरकरण की कार्यवाही की जानी चाहिए थी। अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने से पूर्व खातेदार केसरा के विधिक उत्तराधिकारियों की जांच कर, उनको सुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने से विधिक प्रावधानों की पालना का अभाव पायागया है, अधीनस्थ न्यायालय से उक्त नामान्तकरण तस्दीक किये जाने में विधिक त्रुटि होना प्रथमदृष्ट्या प्रकट होता है। ऐसे में अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामस्वरूप उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 3914 वाकेग्राम माटून्दा निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर खातेदार केसरा आ.रामसुख जाति गूजर के सभी विधिक वारिसान की जांच कर, उनको सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर, विधिक प्रावधानों की विवेचना करते हुये आदेश पारित कर नियमानुसार नामान्तरकरण तस्दीक करने की कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 10.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर, बून्दी
जिला कलक्टर बून्दी